बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 24-9-14

संख्या– 04/फार्मा-14-01/14-870(4) / भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन, फार्मासिस्ट संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तो के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।** – (1) यह नियमावली "बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(v) 'निदेशालय' से अभिप्रेत है निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग;

(vii) 'फार्मासिस्ट' से अभिप्रेत है फार्मासिस्ट एवं मिश्रक; तथा

(viii) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 ।

3. **संवर्ग का गठन।** – फार्मासिस्ट का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के पदों की कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय–समय पर, स्वीकृत की जाय।

4. **संवर्ग का पदसोपान।** – इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात पदसोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे।

5. भर्ती।– इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (फार्मासिस्ट) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. अहर्ताएँ। – (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/10 + 2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा–इन–फार्मेसी कोर्स के सभी पार्ट (पार्ट I, II एवं III) में उत्तीर्णता होगी, तथा एतत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(2) अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउन्सिल से रजिष्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा।

(3) फार्मासिस्ट संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु–सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।

(4) संबंधित वर्ष की 1 ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. भर्ती की प्रक्रिया। – (1) नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :–

(क) इन्टरमीडियेट/10+2 (विज्ञान) परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–	25 अंक
(ख) उच्चतर शिक्षा (बी0 एस–सी0/बी0 फार्मा0/एम0 एस–सी0/एम0 फार्मा0) के लिए	–	10 अंक
(ग) डिप्लोमा–इन फार्मेसी की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–	25 अंक
(घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–	25 अंक
(ङ) साक्षात्कार के लिए	–	15 अंक
कुल	–	100 अंक

टिप्पणी। – इन्टरमीडियेट/+2 (विज्ञान) की परीक्षा एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसें 50 % x 0.25 = 12.5 अंक दिये जायेंगे।

(3) साक्षात्कार की प्रक्रिया का अवधारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (2) के आधार पर मेधा–सूची तैयार करने के पश्चात, आयोग द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य–जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा

नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(5) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **परिवीक्षा अवधि।** –नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे फार्मासिस्ट को सेवामुक्त कर सकेगा।

9. **प्रशिक्षण।**– परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन फार्मासिस्ट को ऐसे प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा अवधारित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा।** – फार्मासिस्ट को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि।** – परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर फार्मासिस्ट को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

12. **वरीयता।** – फार्मासिस्ट की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी परंतु इस नियनावली के प्रवृत होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी,

13. **प्रोन्नति के सोपान।**– (1) सेवा में सम्पुष्ट फार्मासिस्ट को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता–सह–वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट–1 में उल्लिखित प्रोन्नति के सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. **विभागीय प्रोन्नति समिति।** – (1) प्रोन्नतियाँ, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा। अधिकतम ग्रेड–पे में प्रोन्नति पर विचार के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होंगे।

15. **आरक्षण।** – सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

870(4)
24-9-14

16. परिशिष्ट -- 1 में अंकित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट–1 में अंकित पद–सोपान में कोई उपांतरण या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट–1 तदनुसार उपांतरित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा उपांतरित / संशोधित पद–सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. परिशिष्ट – 1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त / तैनात एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

18. कर्त्तव्य एवं दायित्व।– इस संवर्ग के पदाधिकारियों / कर्मियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व वही होंगे जो परिशिष्ट–2 में यथाविनिर्दिष्ट किये गए हों।

19. अवशिष्ट मामले।– इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की आनुषंगिक संहिताएँ / नियमावली / संकल्प / अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

20. निर्वचन। – यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. कठिनाई का निराकरण। – यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण ऐसे सामान्य या विशेष आदेश जो उस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, द्वारा कर सकेगा।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति। – (1) पूर्व निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कुछ किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 04/कार्मिक-14-01/14-870(4) पटना, दिनांक :- 24-9-14

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

परिशिष्ट – 1

[नियम 2 (viii), 4, 13, 16, 17 द्रष्टव्य]

बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग का पदसोपान, अर्हताएँ, आदि

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	आवश्यक अर्हताएँ	अभ्युक्ति
1.	मूल कोटि	फार्मासिस्ट	सीधी भर्ती द्वारा	(i) इन्टरनीडियेट / +2 उत्तीर्णता। (ii) डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट (पार्ट I, II एवं III) में उत्तीर्णता। (iii) बिहार फार्मेसी काउन्सिल से रजिष्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा। [टिप्पणी– बी० फार्मा० एवं एम० फार्मा० उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकेंगे।]	सभी अस्पतालों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों में।
2.	प्रथम सोपान	वरीय फार्मासिस्ट	प्रोन्नति द्वारा	–	20–शय्याओं या अधिक वाले और 50–शय्याओं या अधिक वाले सभी अस्पतालों में।
3.	द्वितीय सोपान	मुख्य फार्मासिस्ट	तथैव	–	सभी जिला अस्पतालों में।
4.	तृतीय सोपान	वरीय मुख्य फार्मासिस्ट	तथैव	–	सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में।